नवम माला, खंड 1, अंक 3

बुधवार, 20 दिसम्बर, 1989

29 अग्रहायण, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(नौवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

62
26-11-91

(खंड 1 में अंक 1 से 9 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खंड 1, पहला सत्र, 1989 / 1911 (शक)

अंक 3, ——— बुधवार, 20 दिसम्बर, 1989 / 29 अग्रहायण, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण— सभापटल पर रखा गया	1
मंत्रियों का परिचय	6
निधन संबंधी उल्लेख	9
सभा पटल पर रखे गए पत्र	11
सभापति तालिका	12
विपक्ष के नेता को मान्यता	12
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	12

लोक सभा

बुधवार, 20 दिसम्बर, 1989/29 अग्रहायण, 1911 (शक)

लोक सभा 12.15 म० प० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदय: महासचिव उन सदस्यों के नाम पुकारें, जिन्होंने शपथ नहीं ली है अथवा प्रतिज्ञान नहीं किया है।

श्री विजयारामराजू सत्रुचरला (पार्वतीपुरम)
श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा)
श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उदीपी)
श्री कंकर मुंजारे (बालाघाट)
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा)
श्री सरवर हुसैन (बुलंदशहर)
श्री रशीद मसूद (सहारनपुर)

12.23 म० प०

राष्ट्रपति का अभिभाषण

महासचिव: महोदय, मैं 20 दिसम्बर, 1989 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

लोक सभा के नौवें आम चुनाव के बाद इस प्रथम अधिवेशन में संसद् के दोनों सद्नों को सम्बोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नई लोक सभा के सदस्यों को मैं बधाई देता हूं।

2. अभी-अभी जो आम चुनाव हुए हैं, उससे भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता का परिचय मिला है। जनता ने परिवर्तन के पक्ष में स्पष्ट निर्णय दिया है।

3. सरकार ने एक पखवाड़ा पहले ही कार्यभार सम्भाला है और वह जो विभिन्न नीतिगत पहल करना चाहती

है और जिन पर बल देना चाहती है उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के काम में तत्परता से जुट गई है। मैं इस अभिभाषण में केवल उन्हीं व्यापक समस्याओं का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें सरकार सुलझाना चाहती है।

4. मेरी सरकार जनादेश को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार राष्ट्र एवं व्यक्ति की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य करेगी। सरकार, शासन एवं विकास का ऐसा वैकल्पिक स्वरूप अपनाना चाहती है जो आर्थिक समानता एवं सामाजिक न्याय के समाजवादी सिद्धान्तों, संघवाद एवं विकेन्द्रीकरण, संस्थागत उत्तरदायित्व तथा मानव अधिकारों पर आधारित हो। सरकार एक अन्तर-राज्यीय परिषद् स्थापित करने तथा योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कदम उठायेगी।

5. मेरी सरकार राष्ट्रीय सामंजस्य और आम सहमति की प्रक्रिया विकसित करके राष्ट्र की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6. पंजाब समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। पिछले कुछ वर्षों में, हमने व्यापक हिंसा देखी है। अलगाववाद से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और उग्रवादियों के सामने झुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, किन्तु निःसंदेह इस बात की पूरी जरूरत है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास किया जाए। सरकार राष्ट्रीय सहमति के लिए विभिन्न वर्गों के नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करेगी। 17 दिसम्बर, 1989 को हुई सर्वदलीय बैठक में इसकी शुरूआत हो चुकी है। रंगनाथ मिश्र जांच आयोग की रिपोर्ट पर शीघ्र कार्रवाई पूरी की जाएगी।

7. जम्मू और कश्मीर की स्थिति अत्यधिक नाजुक है और इससे गंभीर समस्याएं जुड़ी हुई हैं। देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के लोगों को, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में किसी से पीछे नहीं रहे हैं, राष्ट्र की प्रगति और विकास की प्रक्रिया में अपनी उचित भूमिका निभाने में समर्थ बनाया जाएगा। राज्य के लोगों की समस्याओं का शीघ्र और स्थायी समाधान खोज निकालने के लिए गहराई से विचार किया जाएगा।

8. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर हमें तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। हम इस क्षेत्र के शीघ्र आर्थिक विकास तथा बातचीत और विचार-विमर्श के जरिए असम सहित इस क्षेत्र की जनजातियों से सम्बद्ध मसलों को हल करने के लिए वचनबद्ध हैं।

9. हाल के महीनों में, देश को साम्प्रदायिक मसलों के उत्पन्न दंगों और हिंसा का सामना करना पड़ा है। धर्मनिरपेक्ष भारत ही हमारी भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय अखण्डता का आधार है। अहिंसा के अग्रदूत, महात्मा गांधी की भूमि पर हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। समय की मांग है कि मैत्री एवं सद्भाव का वातावरण बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की साम्प्रदायिक फूट से बचा जा सके। सरकार राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बढ़ावा देने के अपने अनवरत प्रयत्नों में लोगों का सहयोग चाहती है। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् को पुनर्गठित किया जा रहा है और यह राष्ट्रीय हित के मामलों में कारगर पहल और पारस्परिक क्रिया-कलापों के लिए मंच का काम करेगी।

10. स्वस्थ एवं जीवन्त लोकतंत्र का मुख्य आधार है लोकतंत्रीय संस्थाओं की पवित्रता एवं शक्ति। सरकार उन संस्थाओं की गरिमा और शक्ति को पुनः बहाल करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में कमजोर बना दिया गया है। जनता ही शक्ति का स्रोत है। यह अत्यावश्यक है कि लोगों को स्वयं अपने प्रशासन के बारे में अन्तिम निर्णय लेने का हक हो। मेरी सरकार राष्ट्रीय सहमति से पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति, कार्य और संसाधनों की वास्तविक सुपुर्दगी को बढ़ावा देगी ताकि विकास की प्रक्रिया में जनता की

पूरी भागीदारी हो। सरकार राज्यों के सहयोग से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं का इन निकायों में समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। वास्तव में, इस संपूर्ण प्रक्रिया के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य, जिला और पंचायत स्तरों पर शासन व्यवस्था के संघीय ढांचे को मजबूत करना होगा।

11. स्वच्छ सार्वजनिक जीवन लोकतंत्र का मूल आधार है। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक जीवन के आदर्शों और मूल्यों में लगातार गिरावट आयी है। उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार के मामलों में कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। सरकार इस सत्र के दौरान लोकपाल की नियुक्ति के लिए एक विधेयक पेश करेगी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में प्रधान मंत्री को भी शामिल किया जायेगा।

12. मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि एक भागीदार लोकतंत्र को प्रबुद्ध और जानकार मतदाताओं की आवश्यकता होती है। इसका यह भी विश्वास है कि पूरी तरह से जनता के समक्ष सरकार के खुले तौर से काम करने से गलत कार्यों की संभावना बहुत कम रह जाएगी। शासकीय गोपनीयता अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाएगा ताकि लोगों को अधिकाधिक जानकारी मिल सके। दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी ताकि सूचना का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। इस सत्र में इस आशय का एक विधेयक पेश किया जायेगा। संविधान के उनसठवें संशोधन को, जिससे नागरिक के जीवन के अधिकार को भारी खतरा पहुंचा है, निरस्त किया जायेगा। डाक विधेयक को, जिससे नागरिक के निजी जीवन के अधिकार में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई थी, वापस ले लिया जाएगा। इसी प्रकार, जांच आयोग अधिनियम के संशोधन के जरिए जनता और संसद् से महत्वपूर्ण सूचना छिपाने की जो कोशिश की गई थी, उसे कानून की पुस्तक से हटा दिया जाएगा। मेरी सरकार संविधान का संशोधन करके, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करेगी।

13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सामाजिक और आर्थिक अन्याय के शिकार अभी भी बने हुए हैं। सरकार का प्रमुख उद्देश्य उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होगा ताकि वे अपना जीवन गरिमा और सम्मान से व्यतीत कर सकें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधान-मण्डलों में आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया जायेगा।

14. सरकार मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए समुचित कदम उठायेगी।

15. भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं, विशेष रूप से समान रैंक के लिये समान पेंशन और सेवा-निवृति के बाद रोजगार प्रदान करने सम्बंधी उनकी मांग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

16. सरकार इस बात की पूरी गारण्टी देगी कि अल्पसंख्यक निर्भय होकर जीवन व्यतीत करें और राष्ट्र की प्रगति में समान भागीदार बनें।

17. संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा दिया गया है। लेकिन महिलाओं को भेदभाव और अपमान अब भी झेलना पड़ रहा है। मेरी सरकार महिलाओं को सम्मान अवसर प्रदान करने के लिये सभी कदम उठायेगी।

18. राष्ट्र की प्रगति में युवकों की विशेष भूमिका होती है। उनकी विशाल शक्ति को एकजुट करके उसे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगाना है। वे परिवर्तन के अग्रदूत हैं और उन्हें ही एक नए और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला रखनी है। सरकार ऐसे कदम उठावेगी जिनसे युवाशक्ति का इस्तेमाल करने में मदद मिले ताकि सामाजिक शक्तियों को समाज में परिवर्तन लाने के लिये प्रवर्तित किया जा सके। शिक्षा प्रणाली में इस तरह सुधार किया जायेगा कि इससे नई पीढ़ी की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

19. इस सरकार का यह प्रयास होगा कि राष्ट्रीय विकास के लिए हमारे अन्य प्रयत्नों के साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं का एकीकरण सुनिश्चित किया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि का उत्पादन बढ़ाने और प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए किया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकें, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके और सबसे निचले स्तर पर लोगों को सामान्यतः लाभ मिल सके।

20. सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में उत्पादक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने को प्राथमिकता देगी। यह समुचित रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार मिले जिससे वह राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में भाग ले सके।

21. आर्थिक मोर्चे पर स्थिति चिन्ताजनक है। अनियंत्रित सरकारी व्यय और उसके परिणामतः धन की आपूर्ति तथा काले धन में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की समस्या और भी भंयकर हो गई है। आर्थिक असंतुलन बजट में भारी घाटे के रूप में दिखाई दिया है। भुगतान शेष पर काफी दबाव बना हुआ है।

22. सरकार, मुद्रास्फीति के दबावों पर काबू पाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हाल के महीनों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इससे गरीब तथा साधनहीन लोग और गरीब हो गए हैं। सरकार मुद्रास्फीति की समस्या को सुलझाने के लिये हर सम्भव उपाय करना चाहती है।

23. घाटे की वित्त व्यवस्था अत्यधिक नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है। अनावश्यक सरकारी खर्च को कम करने के उपाय किये जायेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में बाह्य और आन्तरिक स्थिरता पुनः लाने के लिए सरकारी खर्च और घाटे पर प्रभावी नियंत्रण अनिवार्य पूर्वापेक्षा है।

24. कई मध्यकालिक कारणों से भुगतान-शेष पर दबाव पड़ा है। आयात की व्यवस्था करके और निर्यात को बढ़ावा देकर बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार एक कार्य योजना तैयार करेगी जिसका उद्देश्य हमारी बाह्य अदायगी की स्थिति के असंतुलन को ठीक करना होगा।

25. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जायेगा और उस पर कड़ी नजर रखी जायेगी। आम खपत की चीजों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये चीजें समाज के कमजोर वर्गों की पहुंच के अन्दर हों।

26. राष्ट्र अभी भी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक असमानतायें बढ़ी हैं। विकास का लाभ सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से नहीं मिल पाया है। सरकार इस असंतुलन को ठीक करने तथा विकास के लाभों को समाज के निर्धन वर्गों तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। गरीबों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जायेगा और खासतौर पर सरकार एक समयबद्ध कार्यक्रम चलायेगी जिससे सभी गांवों को पीने का पानी मिल सके।

27. हमारे अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से मानव तथा अन्य संसाधनों का पलायन हुआ है। इस प्रवृत्ति को रोकना होगा। सरकारी निवेश परिव्यय के एक महत्वपूर्ण भाग को ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मोड़ना होगा। सरकार की नीतियों को गरीबों तथा मजदूरों के लिए बनाना होगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि कृषि क्षेत्र के संबंध में व्यापार की शर्तों में सुधार हो तथा किसानों को अपनी उपज के लिए लाभकारी कीमतें मिलें। सरकार सीमांत किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, दस्तकारों और बुनकरों को 10,000 रुपए से कम के ऋणों में राहत देने के लिए समुचित कदम उठाएगी। मेरी सरकार भूमि तथा जल जैसे

अन्य प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित वितरण करने के लिए विद्यमान कानूनों में संशोधन करेगी और खेत जोतने वाले को ही खेत का मालिक बनाएगी। भूमि सुधार संबंधी सभी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

28. मेरी सरकार औद्योगिक विकास को इस प्रकार बढ़ावा देगी कि रोजगार के अवसर अधिकतम बढ़ें। लघु-उद्योगों, कृषि संसाधन उद्योगों तथा ग्रामीण दस्तकारों की दस्तकारी पर आधारित उद्योगों और महिलाओं एवं ग्रामीणों के लिए विशेष रूप से लाभदायक ग्रामीण उद्योगों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपेगी तथा उन्हें सब प्रकार से मदद देगी। सार्वजनिक क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया जाएगा ताकि उत्पादित अतिरिक्त माल को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि भावी विस्तार के लिए या विकास कार्यकलापों में उपयोग के लिए उनका पुनः निवेश किया जा सके। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को प्रभावी बनाया जायेगा ताकि उत्पादकता और औद्योगिक शान्ति का वातावरण तैयार किया जा सके।

29. पर्यावरण की अधोगति और इसके फलस्वरूप हमारे प्राकृतिक संसाधन आधार के अपक्षय को रोकने के लिए सरकार राज्य नीति के अन्तर्गत जिन विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी उनमें पर्यावरण का संरक्षण भी शामिल होगा। बायोमास के पुनः सृजन संबंधी कार्यक्रमों पर पूरा जोर दिया जाएगा।

30. मेरी सरकार की विदेश नीति का मूलाधार वे आदर्श और सिद्धान्त हैं जिनसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली थी। यह गुटनिरपेक्षता के प्रति हमारी दृढ़ आस्था के जरिए तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, जातीय भेदभाव और सभी प्रकार के आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध हमारे संघर्ष द्वारा परिलक्षित हुआ है। तेजी से बदलता हुआ अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण, भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों प्रदान करता है जिससे राष्ट्रीय सहमति को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता सिद्ध होती है।

31. मेरी सरकार दक्षिण एशिया में अपने पड़ौसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने और पुनः सुदृढ़ करने तथा सार्क की संरचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया में नये सिरे से गतिशीलता लाने को महत्व देती है। सरकार अपने पड़ौसी देशों के साथ अनसुलझे द्विपक्षीय मसलों को सुलझाने का हर सम्भव प्रयत्न करेगी जो कि हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होगा। सरकार इस क्षेत्र में स्थायित्व, विश्वास और सहयोगात्मक प्रयास के एक नये युग में प्रवेश करने के लिए और आगे प्रयास करेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, श्रीलंका सरकार के साथ पहले ही बातचीत शुरू हो चुकी है।

32. मेरी सरकार भारत और चीन के बीच सद्भाव एवं सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को जारी रखेगी। आशा है कि सीमा के सवाल को हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुरूप उचित और तर्कसंगत तरीके से सुलझाया जा सकता है।

33. मेरी सरकार सोवियत संघ के साथ अपनी परम्परागत मैत्री को और मजबूत बनायेगी; संयुक्त राज्य अमरीका के साथ रचनात्मक एवं सहयोगात्मक संबंधों को नई दिशा प्रदान करेगी; और जापान तथा यूरोपीय समुदाय के साथ आर्थिक सहयोग सुदृढ़ करेगी।

34. मेरी सरकार शांतिपूर्ण पश्चिम एशिया में अपने देश को प्राप्त करने के फिलस्तीनी लोगों के अदेय अधिकारों को स्वीकार करती है। इस दिशा में सरकार का समर्थन और एकजुटता हमेशा उपलब्ध रहेगी। मेरी सरकार का यह भी प्रयास रहेगा कि जातीय पृथक्वासन को समाप्त करने के उद्देश्य से बातचीत शीघ्र शुरू करने के लिए प्रिटोरिया शासन पर दबाव जारी रखा जाए। संयुक्त लोकतांत्रिक और जातीय भेदभाव रहित दक्षिण अफ्रीका का अभ्युदय ही हमारा लक्ष्य है।

35. माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र थोड़े समय के लिये है। लेकिन यह अपने महत्व की दृष्टि से ऐतिहासिक है और नौवीं लोक सभा के गठन के तुरंत बाद बुलाया गया है, ताकि संसद् के समक्ष नई कार्यसूची प्रस्तुत की जा सके।

36. मैं आपके प्रयासों की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द

12.23-1/2 म०प०

मंत्रियों का परिचय

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री परिषद् के सदस्यों का परिचय कराता हूं:

चौधरी देवी लाल, उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री....(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री जगपाल सिंह: स्पीकर सर, हमारे कांस्टीटयूशन के आर्टीकल 75 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। इस सवाल के बारे में मैं इतना ही कह दूं कि यह कोर्ट के सामने है। अतः मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि जो कहना है वह कहें।

श्री जगपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय: कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रावत साहब, आप जानकार आदमी हैं, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा): डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रावीजन कांस्टीट्यूशन में है ही नहीं....(व्यवधान)

[अनुवाद]

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह: मेरा प्वाइंट आफ आर्डर कोर्ट की जुडिशियल पावर को कहीं ब्रीच नहीं करता है। मेरा प्वाइंट यह है कि कांस्टीट्यूशन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रावीजन ही नहीं है। आर्टिकल 74 यह कहता है कि

[अनुवाद]

"भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी बात सुन ली है, आप बैठ जाइए।

श्री जगपाल सिंह: मेरा प्वाइंट यह है कि

[अनुवाद]

"हमारे माननीय प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल जी का परिचय उप-प्रधान मंत्री के रूप में नहीं करवा सकते।

[हिन्दी]

सैकिण्ड प्वाइंट मेरा यह है कि चौधरी देवी लाल जी ने मिनिस्टर की हैसियत से भी ओथ नहीं ली है इसलिए चौधरी देवी लाल सिर्फ इस सदन के मैम्बर आफ पार्लियामेंट हैं। मेरा थर्ड प्वाइंट यह है कि अभी तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से गवर्नमेंट आफ इंडिया का इनकी सिक्योरिटी पर जितना खर्च हुआ है वह उसके द्वारा न होकर व्यक्तिगत रूप से होना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं खड़ा हुआ हूं।

[हिन्दी]

मैं आप सब से यह कहना चाहता हूं कि देवीलाल जी इस सदन के माननीय निर्वाचित सदस्य हैं। इससे पहले इस सदन में माननीय सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और मोरारजी भाई जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जगजीवन राम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। इसलिये इनका प्वाइंट आफ आर्डर है ही नहीं। मैं फिर प्रधान मंत्री से कहूंगा कि वह जो कुछ कहना चाहें, कहें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रधानमंत्री जी मंत्रियों के परिचय का काम आरम्भ करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह:

प्रो० मधु दण्डवते	वित्त मंत्री
श्री जार्ज फर्नांडीज	रेल मंत्री
श्री अजीत सिंह	उद्योग मंत्री
श्री शरद यादव	वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	गृह मंत्री
श्री आरिफ मोहम्मद खान	ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
श्री नीलमणि राउतराय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	विदेश मंत्री
श्री नाथू राम मिर्धा	खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री
श्री पी० उपेन्द्र	सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्री
श्री के०पी० उन्नीकृष्णन	जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
श्री दिनेश गोस्वामी	इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
श्री मुरासोली मारन	शहरी विकास मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री मनुभाई कोटाड़िया	जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राज्य मंत्री

श्रीमती मेनका गांधी	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो० एम०जी०के० मेनन	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री

(व्यवधान)

12.32 मध्य॰

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण मुझे सदन को अपने 6 भूतपूर्व साथियों अर्थात् सर्वश्री सुबोध सेन, शिव चन्द्र झा, लोकनाथ मिश्र, गोकुल सैकिया, चन्द्र प्रताप नारायण सिंह और श्रीमती सावित्री श्याम के निधन के बारे में सूचित करना है।

श्री सुबोध सेन 1980-84 के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पहले वह 1962-68 के दौरान पश्चिम बंगाल विधान परिषद् के सदस्य रहे।

वह एक निष्ठावान राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए अनथक कार्य किया।

एक योग्य संसदविद के नाते वह सभा की कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी लेते थे।

श्री सेन का निधन 72 वर्ष की आयु में 7 अक्तूबर, 1989 को जलपाईगुड़ी में हुआ।

श्री शिव चन्द्र झा बिहार के मधुबनी निर्वाचन क्षेत्र से 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। बाद में अप्रैल, 1978 में वह राज्य सभा के लिए चुने गए और 1984 तक उसके सदस्य रहे।

वह एक विख्यात राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने अपने छात्रजीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया।

वह एक स्वछन्द पत्रकार थे और उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित कई दैनिक और साप्ताहिक समाचारपत्रों के साथ काम किया। उन्होंने कई विषयों पर लेख लिखे और कई पुस्तकें भी लिखीं।

श्री शिव चन्द्र झा ने व्यापक भ्रमण किया और उन्होंने 1979 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में न्यूजीलैंड में हुए 25वें राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया।

वह एक कुशल संसदविद थे तथा सदन की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे तथा उन्होंने उसमें मूल्यवान योगदान दिया।

श्री झा का निधन मधुबनी जाते हुए 60 वर्ष की आयु में 8 नवम्बर, 1989 को हुआ।

श्री लोक नाथ मिश्र 1946-49 के दौरान भारत की संविधान सभा के सदस्य रहे। बाद में वह उड़ीसा विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और 1951 तक उसके सदस्य रहे। श्री मिश्र 1952-57 के दौरान उड़ीसा के पुरी निर्वाचन क्षेत्र से पहली लोक सभा के सदस्य रहे।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री मिश्र ने स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई तथा 1942 में जेल गए।

श्री मिश्र एक वकील थे और एक योग्य संसदविद होने के नाते वह संसद की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे।

श्री मिश्र का निधन 84 वर्ष की आयु में 18 नवम्बर, 1989 को पुरी में हुआ।

श्री गोकुल सैकिया असम के लखीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1985—89 के दौरान आठवीं लोक सभा के सदस्य चुने गये थे।

व्यवसाय से वकील श्री सैकिया एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रहे। उन्होंने बाढ़-राहत कार्य में तथा शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दूर करने में गहरी रुचि ली। वह एक योग्य संसदविद थे और वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वह सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य रहे और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति में भी सदस्य के रूप में काम किया।

श्री सैकिया का निधन 23 नवम्बर, 1989 को बिहार में देवगढ़ नामक स्थान पर हुआ, जब कि उनकी आयु मात्र 38 थी।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उत्तर प्रदेश के पदरौना निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। 1980—84 के दौरान वह सातवीं लोक सभा के भी सदस्य रहे। इससे पहले 1969—74 के दौरान वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से श्री सिंह एक कृषक थे और उन्होंने एक सुयोग्य प्रशासक के रूप में नाम कमाया और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में विभिन्न मंत्रीपदों पर बड़ी कुशलता से कार्य किया। उन्होंने ग्रामीण विकास में विशेष दिलचस्पी ली।

उन्होंने देश-विदेश की यात्रा की। वह एक असाधारण संसदविद थे और सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते रहे। उन्होंने सभा की कार्यवाही के दौरान मूल्यवान सुझाव दिये।

श्री सिंह का निधन दुखद परिस्थितियों में 26 नवम्बर, 1989 को गोरखपुर में हुआ जबकि उनकी आयु 54 वर्ष थी।

श्रीमती सावित्री श्याम 1967—70 तथा 1971—77 के दौरान चौथी तथा पांचवी लोक सभा की सदस्या थीं। वह उत्तर प्रदेश के आंवला निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आयी थी। इससे पहले वह 1955—67 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रहीं।

एक योग्य संसदविद श्रीमती श्याम सभा की कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी लेती थीं और उन्होंने लोक लेखा समिति तथा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जैसी महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्रीमती श्याम एक वयोवृद्ध स्वंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया।

एक जानी-मानी राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्तृ श्रीमती श्याम ने अनेक सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य किया। उन्होंने शिक्षा तथा कृषि के विकास और आर्थिक न्याय, मद्य निषेध तथा खादी के प्रचार के लिए अनथक कार्य किया।

श्रीमती श्याम का निधन 28 नवम्बर, 1989 को 71 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करने में सभा मेरे साथ है।

अब सभा अपना दुख व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

12.38 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कर्नाटक राज्य के संबंध में दिनांक 30.11.89 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रपति की उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद):

मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 30 नवम्बर, 1989 को जारी की गई उद्घोषणा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य के संबंध में उनके ही द्वारा 21 अप्रैल, 1989 को जारी की गई उद्घोषणा प्रतिसंहृत की गई है तथा जो संविधान के अनुच्छेद 353(3) के अन्तर्गत 30 नवम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1027(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2/89]

12.38½ म० प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1989

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र):

मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अन्तर्गत 21 अक्तूबर, 1989 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 की संख्या 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3/89]

12.39 म० प०

सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि प्रक्रिया-नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति-तालिका का सदस्य मनोनीत किया है :

1. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
2. डा० तम्बि दुरई
3. श्री सत्यपाल मलिक
4. श्री जसवन्त सिंह
5. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
6. श्रीमती गीता मुखर्जी

12.39 1/2 म० प०

विपक्ष के नेता को मान्यता

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मैंने कांग्रेस (आई) पार्टी, जिसके लोक सभा में विरोधी दल के रूप में सबसे अधिक सदस्य हैं, के नेता श्री राजीव गांधी को संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा-2 के अनुसार 18 दिसम्बर, 1989 से विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया है।

12.40 म० प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 20.12.1989 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.401/2 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के लिये कारण बताने वाला विवरण

इस्पात और खान मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री दिनेश गोस्वामी) : मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1989 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के लिए कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3/89]

12.41 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 21 दिसम्बर, 1989/30 अग्रहायण, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।